आर.पी. मण्डल
मुख्य सचिव
R.P. Mandal
Chief Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
Government of Chhattisgarh

अर्द्धशासकीय पत्र क्र. : 243/CS/2020
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक :
29 APR 2020

प्रिय मित्र,

राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव, रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु विभिन्न आवश्यक कदम उठाये गये है जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति अन्य समकक्ष राज्यों से बेहतर है। राज्य में कोविड–19 के रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु बेहतर प्रबंधन को लक्षित करते हुए आगामी कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस महामारी से बचाव हेतु समुदाय स्तर पर सक्रिय निगरानी कर मरीज की त्वरित पहचान व उपचार किया जाना आवश्यक है।

2/ इसी परिप्रेक्ष्य में आगामी कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में गये व्यक्तियों/श्रमिकों के वापिस अपने निवास के जिले में आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ वापिस आने वाले व्यक्तियों/श्रमिकों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :–

01. सभी जिला कलेक्टर प्रथमतः घर वापसी के इच्छुक श्रमिकों का पूर्ण आंकलन करेंगें। प्रवासी श्रमिकों की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या, प्रदेश जहां से वे आना चाहते हैं एवं संबंधित जिला इत्यादि की जानकारी प्रदेशवार एवं जिलेवार एकत्रित कर लें। यह आंकलन श्रमिक हेल्पलाईन/जन प्रतिनिधि/एनजीओ एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचना, शासन द्वारा जिन्हे सहायता उपलब्ध करायी गई है एवं अन्य व्यक्ति/श्रमिक जो छत्तीसगढ़ में आने के इच्छुक हैं, के आधार पर किया जावेगा।
02. सभी जिला कलेक्टर, संबंधित प्रदेश के जिले के जिला दण्डाधिकारी से चर्चा कर समन्वय करेंगे कि कितनी संख्या में श्रमिक/व्यक्ति किस प्रदेश के किस जिले से कब आ रहे हैं या आने की संभावना है। यह जानकारी पूर्व से ही प्राप्त करेंगे ताकि आवश्यक तैयारी की जा सकें।
03. जिले के कलेक्टर द्वारा अन्य राज्यों से प्राप्त डाटा/जानकारी को तत्काल राज्य नोडल अधिकारी से साझा किया जायें।
04. इस संबंध में कार्ययोजना बनाने एवं उसके क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में सीईओ जिला पंचायत को तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में कार्य हेतु जिला कलेक्टर द्वारा आदेशित किया जा सकता है।
05. उक्त आंकलन के आधार पर वापस आने वाले श्रमिकों एवं परिवार के सदस्यों को क्वारेन्टाईन में रखने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां जिला प्रशासन के समन्वय से की जायेंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर गांव से दूर उपयुक्त भवन जैसे– स्कूल भवन, सामुदायिक भवन, आश्रम–छात्रावास इत्यादि में क्वारेन्टाईन करने की कार्य योजना तैयार की जाये। यह कार्य योजना मजदूरों की संख्या के आंकलन के आधार ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार की जावेगी। अन्य प्रदेशों से वापस आये समस्त श्रमिकों का संपूर्ण ऑनलाईन डाटा बेस जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया जावेगा, जिस हेतु नमूना प्रारूप संलग्न है। ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था की भांति शहरी क्षेत्रों में भी व्यवस्था अन्य राज्यों से वापस आने वाले श्रमिको/व्यक्तियों के लिए की जाये।
06. क्वारेन्टाईन सेंटर में रहने, भोजन एवं अन्य आवश्यक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

//2//

कक्ष क्र. S - 4/21, चतुर्थ तल, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ़) - 492 002
Tel-: 0771-2221207, 2221208, Fax : 0771-2221206, Email : csoffice.cg@gov.in

07. स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिकों का प्रदेश के सीमा पर ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जावेगा। श्रमिकों की अधिकता की स्थिति सीमावर्ती जिले के अतिरिक्त अन्य नजदीकी जिले/अन्य निर्धारित स्थान में भी स्वास्थ्य परीक्षण का काम किया जा सकेगा। जिस हेतु पूर्व से ही स्थान और व्यवस्था का निर्धारण किया जाये।
08. इन व्यवस्थाओं को कारगर ढंग से लागू करने के लिए जिलों के मध्य समुचित समन्वय अत्यंत आवश्यक है।
09. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एवं तेलंगाना द्वारा वहां की बसों से मजदूरों को प्रदेश की सीमा तक पहुचाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ की सीमा पर संबंधित जिले के द्वारा प्रथमतः होल्डींग एरिया/कैम्प में स्वास्थ्य परीक्षण, विश्राम एवं भोजन की व्यवस्था की जावेगी।
10. स्वस्थ्य पाये गये श्रमिकों/व्यक्तियों को एन्ट्री प्वाइंट से उनके गंतव्य जिले तक पहुचाने की व्यवस्था यात्री वाहनों से परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से की जावेगी।
11. उपरोक्त व्यवस्था में श्रमिकों/व्यक्तियों परिवहन, भोजन या अन्य सुविधाओं के लिये कलेक्टर एस.डी.आर.एफ से भुगतान की व्यवस्था करेंगे।
12. अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों/व्यक्तियों की संख्या को उस राज्य के नोडल अधिकारी से समन्वय कर नियंत्रित किया जाये ताकि अंर्तराज्य सीमाओं पर व्यवस्था बनी रहे।
13. यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से तत्परता एवं सावधानीपूर्वक संपादित किया जावे एवं संबंधित राज्य के जिला प्रशासन से समन्वय कर की गई कार्यवाही से राज्य नोडल अधिकारी श्री सोनमणि बोरा, सचिव सह श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन को राज्य कंट्रोल रूम (नंबर 75878–22800) के माध्यम से अवगत करायेंगे।
14. अन्य राज्यों में मजदूरी हेतु गये व्यक्तियों के वापिस आने पर अनिवार्यतः 14 दिवस के लिए निर्धारित पद्यति से क्वारेन्टाईन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। सीमावर्ती जिलों में श्रमिकों/व्यक्तियों को स्वास्थ्य परीक्षण में अस्वस्थ्य पाये जाने पर क्वारेन्टाईन की व्यवस्था सीमावर्ती जिलों में ही सुनिश्चित की जायेगी।
15. ऐसे व्यक्ति जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए जायें उन्हें तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क कर कोविड–19 की जांच कराया जावे।
16. स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित गाईड लाईन अनुसार जिला स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण, क्वारेन्टाईन सेंटर, होम क्वारेंटाईन संबंधी कार्य संपादित किया जावेगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल मार्गदर्शन एवं प्रशासनिक नियत्रंण में कोरोना वायरस के राज्य में फैलाव को रोकने में हम पूरी तरह सफल होंगे।

धन्यवाद।

भवदीय,

(आर.पी.मण्डल)
29/4/2020

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

अन्य राज्यों से श्रमिकों/व्यक्तियों के छत्तीसगढ़ आने पर जानकारी एकत्रित करने हेतु प्रारूप

जिले का नाम–

जनपद पंचायत का नाम –

ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का नाम –

ग्राम का नाम/ नगरीय निकाय के वार्ड का क्रमांक –

स.क्र.	श्रमिक/व्यक्ति का नाम	आयु	छत्तीसगढ़ आने से पूर्व निवास/ कार्य स्थल का जिला एवं राज्य	आधार कार्ड है/नहीं, यदि है तो आधार नंबर	आधार कार्ड में दिया पता छत्तीसगढ़ का है/नहीं	राशनकार्ड है/नहीं,	राशनकार्ड छत्तीसगढ़ से जारी है/नहीं, यदि है तो राशनकार्ड नंबर (छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नंबर 12 अंकों का है)	राशनकार्ड वर्तमान में निवास के गांव/ नगरीय निकाय से जारी है/नहीं	श्रमिक/व्यक्ति के कौशल/कार्य कुशलता के बारे में जानकारी जैसे ईट बनाना, मिस्त्री कार्य, फैक्ट्री में विशेष कार्य अनुभव इत्यादि